रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1009] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 10, 2017/चैत्र 20, 1939
No. 1009] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 10, 2017/CHAITRA 20, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

का. आ. 1135(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे ही प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और वह आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

और, भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, (जिसे इसमें इसके पश्चात "विभाग" कहा गया है), दिव्यांगजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्रही कहा जाएगा) के पुनर्वास के लिए दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'स्कीम' कहा गया है) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम अधिशासित कर रहा है और स्कीम के अधीन फायदे और सेवाएं (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधाएं कहा गया है) लेने के लिए निबंधनों और शर्तों सहित विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं।

और, यह स्कीम मंत्रालय के अधीन प्रचालित संस्थानों, कॉलेजों, स्कूलों, स्वैच्छिक संगठनों या गैर–सरकारी संगठनों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन एजेंसियां कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है और कार्यान्वयन एजेंसियां विभाग से प्राप्त वित्तीय सहायता की मदद से दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं या प्रसुविधाएं प्रदान करती है जिनमें विशेष शिक्षा, शीघ्र हस्तक्षेप, समुदाय आधारित पुनर्वास, हॉफ वे होम, आश्रय, कार्यशालाएं आदि शामिल हैं।

और, इस स्कीम के अधीन दी गई अनुदान सहायता में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वहित है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात :–

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन करवाए।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन दर्ज कराना होगा, और इस हेतु आवेदन करना होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार उक्त आधार प्राप्त करने के लिए

हकदार है तो ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों) की सूची यूआईडीएआई की वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है, का दौरा कर सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, किसी व्यष्टि से आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और उस दशा में जहां ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है वहॉ नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित करें। विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रजिस्ट्रारों (जिसे इसमें इसके पश्चात यूआईडीएआई कहा गया है) के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या विभाग स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेगा।

परंतु उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन ऐसे व्यष्टि/फायदाग्राही को आधार संख्या समनुदेशित किया जाता है ऐसे व्यष्टि को, प्रसुविधाएँ निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी, अर्थात :–

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र; और

(ग) किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एकः

(i) मतदाता पहचान–पत्र; या
(ii) स्थायी खाता संख्यांक (पेन)कार्ड, या
(iii) पासपोर्ट; या
(iv) राशन–कार्ड; या,
(v) कर्मचारी का सरकारी पहचान–पत्र; या
(vi) बैंक या डाकघर पासबुक फोटो सहित; या
(vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए फोटो पहचान–पत्र; या

(viii) स्कूल के हैडमास्टर/प्रधानाचार्य द्वारा जारी ऐसे बच्चे के फोटो सहित पहचान पत्र, जिस पर स्कूल की मौहर लगी हो; या

(ix) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(x) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य के फोटो सहित पहचान–पत्र; या

(xi) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच के प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से नामानिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से विभाग सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:–

(क) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में आवेदकों या फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए व्यक्तिगत सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूचना वैबसाइट (www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि ब्लॉक या तालुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण इस स्कीम के अधीन फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते हैं, तो विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों से, उनके पते, मोबाईल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उपपैरा (3) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु विभाग में या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करवा सकेंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 22–33(02)/2017–डीडी–II/V)]

डौली चक्रबर्ती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

S.O.1135(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) (hereinafter referred to as the Department), Ministry of Social Justice and Empowerment in the Government of India is administering a Central Sector Scheme namely Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS) (hereinafter referred to as the scheme) for rehabilitation of Persons with Disabilities (hereinafter referred to as the beneficiaries) and the detailed guidelines including the terms and conditions of availing the benefits and services (hereinafter referred to as benefits) under the scheme are available on the website www.disabilityaffiars.gov.in;

And whereas, the Scheme is implemented through Institutes, Colleges, Schools, Voluntary Organizations or Non-Government Organizations (hereinafter referred to as the implementing agencies) operating under the Ministry and the Implementing Agencies offer a variety of services or benefits to the persons with disabilities that include special education, early intervention, community based rehabilitation, half-way home, sheltered workshops, etc. with the help of the financial assistance received from the Department;

And whereas, grant-in-aid given to the implementing agencies under the Scheme involves expenditures incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1.(1) An Individual eligible for availing benefits under the scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing benefit under the scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agencies which require an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Department itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) Disability certificate issued by a competent authority; and

(c) Any one of the following documents:

(i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Employee Government ID Card; or

(vi) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(vii) Photo identity card issued by the competent authority for handicapped persons; or

(viii) Certificate of identity having photo of such student issued by a Headmaster or Principal of School under official seal of the school; or

(ix) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(x) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(xi) Any other document as specified by the Department.

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the scheme, the Department through its Implementing Agencies shall make all required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not yet enrolled and the list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu & Kashmir.

[F. No. 22-33(02)/2017-DD-II/V]

DOLLY CHAKRABARTY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.04.20 11:49:49 +05'30'